रविन्दर सिंह उर्फ काकु वनाम पंजाब राज्य (Criminal Appeal no. 1307 of 2019)
[2022] 4 एस.सी.आर. 589 589

रविंदर सिंह@काकू

बनाम

पंजाब राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1307 2019)

मई 04, 2022

माननीय न्यायमूर्तिगण - उदय उमेश ललित व विनीत सरन,

1. ये अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में पारित दिनांक 22.02.2011 के फैसले से उत्पन्न हुई हैं। इस मामले में लगभग 10 वर्ष और 6 वर्ष की आयु वाले दो बच्चों अर्थात् ;अमन कुमार और ओम की अपहरण करके हत्या कर दी गई थी। जिसमें कुल तीन अभियुक्त ; अनीता @ आरती (बच्चों की माँ) (ए-1); **रविंदर सिंह** उर्फ **काकू** (ए-2) और रंजीत कुमार गुप्ता (ए-3) थे। विचारण न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ 120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई और धारा 364 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को 10 साल के कठोर कारावास और 5000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

2. विचारण न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर , वर्तमान अपीलकर्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधि क अपील दायर की , जिसे अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा दायर आपराधिक अपील के साथ संलग्न किया गया।

3. उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.02.2011 के फैसले के तहत अनीता उर्फ आरती (ए-1) और रंजीत कुमार गुप्ता (ए-3) को बरी कर दिया और रविंदर सिंह उर्फ **काकू** (ए-2) द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और संशोधित करते हुए - मृत्युदंड को दरकिनार करते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

4. वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य विचारण न्यायालय के दिनांक 25.05.2010 के फैसले के पैराग्राफ 2,3 और 4 में बताए गए हैं, जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"2. संक्षेप में, 24.09.2009 को शिकायतकर्ता राकेश कुमार पुत्र खुशाल चंद , निवासी नानक नगरी, मोगा ने स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), पुलिस स्टेशन सिटी -1 मोगा ने अपने दो बेटों अमन कुमार और ओम , जिनकी उम्र क्रमश: लगभग 10 वर्ष और 6 वर्ष थी, उनके लापता होने के संबंध में आवेदन दिया।।उन्होंने आवेदन में कहा कि दिनांक 24.09.2009 को उनके दोनों बेटे रोजाना की तरह अपने घर के पास ट्यूशन पढ़ने गये थे । आमतौर पर, वे शाम लगभग 6 बजे तक ट्यूशन से लौटते थे लेकिन उस दिन, वे रात 9 बजे तक अपने घर नहीं लौटे। उन्होंने (शिकायतकर्ता) अपने पड़ोसियों के साथ उनकी तलाश की।आगे कहा गया है कि घटना से दो दिन पहले उसकी पत्नी का रंजीत कुमार गुप्ता (अभियुक्त) और उसकी पत्नी संजू के साथ विवाद हु आ था और संजू ने शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी को अपने बच्चों की देखभाल करने की धमकी दी थी और इसलिए , उन्हें संदेह था कि उनके बच्चों का रंजीत कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी संजू ने अपहरण कर लिया है। फरियादी के ऐसे आवेदन के आधार पर रोजनामचा में प्रतिवेदन क्रमांक 23 दिनांक 24.09.2009 दर्ज किया गया। मामले की जांच एसआई सुभाष चंदर को सौंपी गई और उनकी रिपोर्ट के आधार पर रंजीत कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी संजू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 364/506/120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

3. दिनांक25.09.2009 को सुबह दोनों बच्चों के शव भगवान सिंह पुत्र पियारा सिंह निवासी पुराना मोगा के धान के खेत से मिले , जिनका शव सिविल अस्पताल मोगा से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया और प्राथमिकी में धारा 302 भारतीय दंड संहिता जोड़ी गई। जांच के दौरान कृष्ण लाल पुत्र शिव लाल बंसल निवासी नानक नगरी , मोगा और अमरजीत सिंह पुत्र जय सिंह निवासी महमे वाला , मोगा के बयानों के आधार पर रविंदर सिंह उर्फ काकू और अनीता उर्फ आरती को भी आरोपी के रूप में नामजद किया गया। आरोपियों को दिनांक 27.09.2009 को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान आरोपी संजू को निर्दोष पाया गया। जांच पूरी होने के बाद, आरोपी **अनीता उर्फ आरती**, **रविंदर सिंह** उर्फ **काकू** और रंजीत कुमार गुप्ता को इस मामले में धारा 302/364/506 सहपठित धारा 120बी भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए चालान कर दिया गया, और रंजीत कुमार गुप्ता (आरोपी) की पत्नी संजू को धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रिपोर्ट के कॉलम नंबर 2 में रखा गया था।

4. इस न्यायालय में मामले की प्राप्ति होने पर , आरोपी अनीता उर्फ आरती, रविंदर सिंह उर्फ काकू और रंजीत कुमार गुप्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/364/120 बी के तहत आरोप तय किया गया , जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का दावा किया और मुकदमे के विचारण की मांग किया।

5. उच्च न्यायालय की राय थी कि अभियोजन पक्ष ने A2 द्वारा किए गए अपराध का आशय साबित किया है , जो कि राकेश कुमार (साक्षी संख्या5) और A1 के स्कूल जाने वाले बच्चों को खत्म करने का उसका दृढ़ संकल्प था , क्योंकि वह A1 के प्यार में पागल था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हत्या के अपराध में A1 को शामिल करने का अभियोजन पक्ष का प्र यास सफल नहीं रहा , क्योंकि A1 के खिलाफ उनका एकमात्र गवाह यानी साक्षी संख्या10 [कृष्ण लाल, जो मृत बच्चों की तलाश करते समय साक्षी संख्या5 के साथ थे] पक्षद्रोही होकर मुकर गया। हालाँकि, A2 और A3 के खिलाफ, यह माना गया कि अभियोजन पक्ष ने साक्षी संख्या 6 और साक्षी संख्या 7 की गवाही के माध्यम से अंतिम बार साथ देखे गए सिद्धांत को आंशिक रूप से स्थापित किया है। उच्च न्यायालय ने साक्षी संख्या 13 के साक्ष्य को भी खारिज कर दिया जो A2 और A3 की न्यायेतर स्वीकारोक्ति की प्रकृति का था।

6. जहां तक A2 यानी वर्तमान अपीलकर्ता का प्रश्न है, उच्च न्यायालय ने उसकी सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि:

"जहां तक दूसरे आरोपी का संबंध है, यह स्पष्ट है कि साक्षी संख्या 12 ने उसके घर पर छापा मारा, उसे 27.09.2009 को गिरफ्तार किया और सिम कार्ड नंबर 9781956918 वाला मोबाइल फोन बरामद किया। उसके द्वारा दिये गये स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर खेत से एक स्कूल बैग और एक रस्सी भी बरामद की गई। DW1 को A2 द्वारा उसके पक्ष में गवाही देने के लिए लाया गया है। दिनांक 27.09.2009 को उसके घर पर छापेमारी के दौरान साक्षी संख्या12 द्वारा A2 की गिरफ्तारी के विश्वसनीय सबूत के सामने, DW1 के द्वारा दिये गये साक्ष्य भरोसेमंद नहीं लगते हैं। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी और उसके प्रकटीकरण बयान के आधार पर की गई बरामदगी दूसरे आरोपी के खिलाफ अभियोजन के मामले को पुष्ट करती है।

शुरुआती दौर में पहली आरोपी अनिता पर बिल्कुल भी शक नहीं गया । बाद में जब उसे 27.09.2009 को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से सिम

कार्ड नंबर 9592851851 और 9914505216 वाले मोबाइल फोन बरामद किए गए तथा उन मोबाइल फोनों की बरामदगी और प्रासंगिक कॉल विवरण Ex.D41 से Ex.D44 द्वारा यह पाया गया कि ये प्रदर्श अभियोजन पक्ष के इस तर्क का समर्थन करते हैं कि A2 की A1 के साथ घनिष्ठ अंतरंगता थी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में परिणत हुई।

जहां तक दूसरे आरोपी का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष द्वारा मामले का दुराशय दूसरे आरोपी के विरुद्ध स्थापित किया गया है। यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी संख्या10 कृष्ण लाल के माध्यम से पेश किए गए दूसरे आरोपी के संबंध में मरने के पूर्व अंतिम समय मे साथ जिन्दा देखे गए सिद्धांत का पहला भाग विफल रहा , परंतु अभियोजन पक्ष साक्षी संख्या 6 अमरजीत सिंह और साक्षी संख्या 7 गुरनैब सिंह के माध्यम से मरने के पूर्व अंतिम मे साथ जिन्दा देखे गये सिद्धांत के दूसरे अंग को स्थापित करने मे सफल रहा है। उसकी गिरफ्तारी और भौतिक वस्तुओं की बरामदगी भी उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करती है। दूसरे अभियुक्त द्वारा साक्षी संख्या 13 गोवर्धन लाल को दिए गए कथित अतिरिक्त न्यायिक बयान को स्थापित करने में विफलता उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करती है। यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि A2 की गिरफ्तारी और उसके शरीर से और उसकी निशानदेही पर भौतिक वस्तुओं की बरामदगी भी स्थापित किया गया है।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही A2 को दोषी ठहराया गया है। A1 के प्रति उसके अंध सम्मोह ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया था और अंततः उसने साक्षी संख्या5 राकेश कुमार के बच्चों की निर्मम हत्या कर दी थी। हालांकि बच्चों की हत्या किसी शैतानी या राक्षसी तरीके से नहीं की गई थी , जबकि दोनों बच्चों की ए2 द्वारा गला घोंटकर हत्या की गई थी। जिस समय A2 ने अपराध किया उस समय उसकी उम्र मात्र 25/26 वर्ष थी। यह अपराध कम उम्र में महिला के प्रति आकर्षण के कारण यौन आग्रह से प्रेरित होकर किया गया था। यह भी ध्यान मे रखा गया कि जेल में कैद के लंबे वर्षों तक रहने के दौरान सुधार संभव है। इसके अलावा , अगर दूसरा आरोपी अपने जीवन का मुख्य समय जेल में बिताकर 20 साल बाद बाहर आता है, तो वह समाज के लिए खतरा नहीं हो सकता है।

7. अपनी दोषसिद्धि और 20 साल की सजा को चुनौती देते हुए , वर्तमान अपीलकर्ता **रविंदर** कुमार उर्फ **काकू** ने आपराधिक अपील संख्या 1307/2019 @ SLP (Crl.) 9431/2011 दायर की, जिसे हमारे द्वारा मुख्य अपील/याचिका के रूप में माना जाएगा।

8. अभियोजन पक्ष का तर्क यह रहा कि विचारण न्या यालय और हाई कोर्ट ने ए 2 को सही तरीके से दोषी ठहराया है क्योंकि अभियोजन सफलतापूर्वक यह स्थापित कर सका है कि उसका हत्या कारित करने का आशय था। A1 और A2 द्वारा उपयोग किए गए फोन से संबंधित कॉल विवरण से यह स्थापित हो गया है कि उनके बीच घनिष्ठ संबंध था , जो यहां किए गए अपराध का मूल कारण बन गया। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि मरने के पहले अंतिम बार जीवित साथ देखे जाने वाले सिद्धांत , अभियुक्तों की गिरफ्तारी, भौतिक वस्तुओं की बरामदगी और उत्पादित कॉल विवरण , साक्षी संख्या 5 के बच्चों की हत्या की साजिश रचने में अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को निर्णायक रूप से स्थापित करता है।

9. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना और अभिलेख का अवलोकन किया ।

10. A2 की सजा केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है , इसलिए, किसी दृढ़ विश्वास को बनाए रखने के लिए, यह जरूरी है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण, ठोस और सुसंगत हो। इस न्यायालय ने लगातार मामलों की एक लंबी श्रृंखला में सुनवाई की है [देखें **हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य एआईआर (1977 एससी 1063); एराडु और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य (एआईआर 1956 एससी 316); इयरभद्रप्पा @ कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (एआईआर 1983 एससी 446); यूपी राज्य बनाम सुखबासी और अन्य (एआईआर 1985 एससी 1224); बलविंदर सिंह @ दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1987 एससी 35); अशोक कुमार चटर्जी बनाम एमपी राज्य (एआईआर 1989 एससी 1890)**] यह कि, जहां कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, वहां अपराध का अनुमान लगाना तभी उचित ठहराया जा सकता है , जब सभी आपत्तिजनक तथ्य और परिस्थितियां आरोपी की निर्दोषता के साथ असंगत पाई जाएं। जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के दोषसिद्धि के बारे में अनुमान लगाया जाता है , उन्हें उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए। **भगत राम बनाम पंजाब**

राज्य, एआईआर 1954 एससी 621में यह निर्धारित किया गया था कि जहां मामला परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है , वहां परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो आरोपी को किसी भी उचित संदेह से परे बेगुनाही को नकार दे और अपराध को सामने लाए। हम **सी. चेंगा रेड्डी और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य,**(1996) 10 एससीसी 193 के मामले का इस मामले में भी संदर्भ दे सकते हैं। जिसमें यह पाया गया है कि:

"परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में , स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है , उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा , सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्यों की शृंखला में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा सिद्ध परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी बेगुनाही के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए ...।"[इस विंदु पर जोर दिया गया]

11. वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त स्थापित कानून को पूरी तरह से लागू करने पर , हम मानते हैं कि वर्तमान अपीलकर्ता यानी A2 के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य मृत बच्चों की हत्या करने में A2 के अपराध को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं करता है। अंतिम बार जीवित साथ देखे जाने वाले सिद्धांत , अभियुक्तों की गिरफ्तारी , भौतिक वस्तुओं की बरामदगी और उत्पादित कॉल विवरण , सबूतों की श्रृंखला को निर्णायक रूप से पूरा नहीं करते हैं और इस तथ्य को स्थापित नहीं करते हैं कि A2 ने साक्षी संख्या 5 के बच्चों की हत्या की है। इसके अतिरिक्त , प्रतिवादी का यह तर्क कि A1 और A2 द्वारा उपयोग किए गए फोन से संबंधित प्रस्तुत कॉल विवरण से यह स्थापित हो गया है कि उनके बीच घनिष्ठ संबंध था और यह संबंध अपराध का मूल कारण बन गया , यह भी स्वीकार करने योग्य तथ्य नहीं है।

12. उच्च न्यायालय द्वारा अपने सामने पेश किए गए A1 और A2 के कॉल अभिलेख के विवरण से गलत तरीके से संदिग्ध निष्कर्ष निकाले गये। उच्च न्यायालय ने A2 और A1 के कॉल विवरण से अनुमान लगाया कि उनके बीच असामान्य रूप से घनिष्ठ संबंध थे। इससे कोर्ट ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि जब तक वे एक- दूसरे के प्यार में पागल नहीं होते, तब तक ऐसी घंटों चैटिंग नहीं होती, अंततः उच्च न्यायालय ने पाया कि:

"हमें यह अनुमान लगाना होगा कि A1 के प्रति A2 के असामान्य आकर्षण ने उसकी इंद्रियों को पूरी तरह से अंधा कर दिया था, जो अंततः नाबालिग बच्चों की मृत्यु का कारण बना। यह काफी संभव है कि A2 ने यह पाया होगा कि नाबालिग बच्चे A1 के साथ उसकी निकटता में बाधा बन रहे थे" [इस विंदु पर जोर दिया गया]

उपरोक्त निष्कर्ष उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यों के ग़लत विवेचन के माध्यम से निकाले गए और हमारी सुविचारित राय में , ऐसे अनुमान A2 की दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकते थे। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने स्वयं देखा कि **"यह स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि A1 और A2 ने अवैध अंतरंगता विकसित की थी"** और इस अवलोकन के बावजूद, न्यायालय ने गलती से अनुमान लगाया कि हत्या ए 1 और ए2 के बीच इस कथित अवैध अंतरंगता के परिणामस्वरूप हुई थी। .

13. जब कोई दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होती है, तो ऐसे साक्ष्य और परिस्थितियों की श्रृंखला दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त एवं निर्णायक होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि A2 की दोषसिद्धि को केवल इस आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने कॉल अभिलेख के माध्यम से एक आशय स्थापित किया है। हालाँकि , हमारा मानना है कि न केवल मौजूदा बिखरे हुए और असंगत सबूतों के आधार पर ऐसी सजा संभव नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपराध का आशय भी स्थापित नहीं किया है। वर्तमान मामले में, यह तथ्य कि A1 और A2 ने कॉल पर बात की, केवल यह साबित करता है कि उनके बीच घनिष्ठ संबंध था। हालाँकि , ये तथ्य यह साबित नहीं करते हैं कि हत्या किसी तरह A1 और A2 के बीच इस कथित निकटता को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। इस संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष महज एक संदिग्ध निष्कर्ष था जो किसी ठोस या ठोस सबूत के अभाव में निकाला गया था। उच्च न्यायालय ने स्वयं अपने निष्कर्षों को केवल संभाव्यता पर आधारित किया जब उसने कहा कि **"यह काफी संभव है कि A2 के नाबालिग बच्चे A1 के साथ उसकी निकटता के लिए बाधा बने होंगे "**। इसके अलावा , अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों द्वारा यह स्थापित करने में भी विफल रहा है कि इन हत्याओं का कथित उद्देश्य क्या था और इस तरह के कृत्य से क्या हासिल किया जाना था। न्यायालय ने पाया कि A2 का कृत्य A1 को "विशेष रूप से अपने पास रखने " की इच्छा से प्रेरित था। हालाँकि, यह असंभव लगता है कि A2, A1 के पति को खत्म करने के

बजाय A1 के साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ाने या उसकी रक्षा करने के लिए साक्षी संख्या 5 और A1 के नाबालिग बच्चों की हत्या कर देगा। इसलिए , उच्च न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत कॉल विवरण की जानकारी से निकाला गया निष्कर्ष दुर्बलता से ग्रस्त है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है , विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में यह कि इस तरह की कथित अंतरंगता को स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और A2 को पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया है। हम उस दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रख सकते जो A2 के प्रति आकर्षण की संभावना पर आधारित है, जो बदले में उसके और A1 के बीच कथित अंतरंगता पर आधारित है , जिसे किसी भी प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।

14. अभियोजन पक्ष की अंतिम बार जीवित साथ देखे जाने वाले सिद्धांत के संदर्भ में , साक्षी संख्या 6 और साक्षी संख्या 7 के साक्ष्यों की जांच करना जरूरी है , क्योंकि अभियोजन पक्ष का दावा है कि इन दो गवाहों की गवाही पर A2 के खिलाफ यह सिद्धांत स्थापित किया गया है। संक्षेप में , अभियोजन पक्ष ने साक्षी संख्या10 के माध्यम से A1 के खिलाफ अपने अंतिम बार जीवित साथ देखे जाने वाले सिद्धांत का पहला अंग स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें दावा किया गया कि A2 और A3, A1 के घर जाते थे और इसलिए तीनों ने मिलकर नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी। हालाँकि , उच्च न्यायालय ने सिद्धांत के इस अंग को सही ढंग से खारिज कर दिया और माना कि चूंकि A1 को आरोपी के रूप में शामिल करने का पूरा प्रयास साक्षी संख्या10 की गवाही पर आधारित था और वह स्वयं शत्रुतापूर्ण था और एक आत्म- विरोधाभासी तथ्यों के साथ आया था। उसकी गवाही तथा उसके सबूतों के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

15. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यहां यह मानकर गलती की है कि , अभियोजन पक्ष की अंतिम बार जीवित साथ देखे गये सिद्धांत के दूसरे अंग साक्षी संख्या 6 और साक्षी संख्या 7 के साक्ष्य के माध्यम से A2 और A3 के खिलाफ विधिवत स्थापित है। साक्षी संख्या 6 (अमरजीत **सिंह) साक्षी संख्या 7 (गुरनैब सिंह**) के फार्म का नौकर है जो दावा करता है कि उसने साक्षी संख्या 5 के मृत बच्चों के साथ ए 2 और ए3 को अंतिम बार देखा है। साक्षी संख्या6 ने गवाही दी कि हालाँकि जब पुलिस शवों के बारे में पूछताछ कर रही थी तब वह मौजूद था, लेकिन उसने पुलिस को A2 और A3 की मौजूदगी के तथ्य का स्वीकारोक्ति नहीं करने का फैसला किया। बल्कि , साक्षी संख्या6 ने यह जानकारी

साक्षी संख्या7 के साथ साझा की और उसके बाद दोनों ने पुलिस को A2 और A3 की उपस्थिति के बारे में सूचित किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने साक्षी संख्या6 और साक्षी संख्या7 के साक्ष्यों में मौजूद कई विरोधाभासों और विसंगतियों को न समझकर गलती की। ये विरोधाभास और विसंगतियां इस तथ्य के आलोक में इसे अति महत्वपूर्ण मानती हैं कि A2 की संपूर्ण सजा केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है , और वे A2 के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य को गैर-निर्णायक भी बनाते हैं।

16. उपर्युक्त विरोधाभासों और विसंगतियों के संदर्भ में , निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: सबसे पहले, साक्षी संख्या6 ने बताया कि जब उसने A2 को दो बच्चों के साथ मैदान में देखा, तो वह आगे बढ़ा और उससे पूछताछ की, जिस पर A2 ने जवाब दिया कि उसका सहयोगी शौच के लिए गया है। साक्षी संख्या6 ने अपने बयान में कोई कारण नहीं बताया कि उसने आगे बढ़कर A2 से ऐसे प्रश्न क्यों पूछे। ऐसी जांच की आवश्यकता और तर्कसंगतता उसकी गवाही से गायब है और यह मनगढ़ंत प्रतीत होता है। दूसरे, साक्षी संख्या 6 ने तुरंत पुलिस को इस तथ्य को नहीं बताया कि उसने पहले A2 और A3 को मृत बच्चों के साथ देखा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि , आरोपियों को दिनांक 27.09.2009 को गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, साक्षी संख्या 6 ने अपनी गवाही में कहा कि **"जब मैं 25.09.2009 को वहां गया था तो आरोपी CIA स्टाफ मौजूद थे "**। जबकि अभियोजन पक्ष स्वयं कहता है कि पुलिस ने आरोपियों को 27.09.2009 को गिरफ्तार किया था, तो यह समझ में नहीं आता कि वे 25.09.2009 को सीआईए स्टाफ में कैसे मौजूद हो सकते थे। इसके अलावा , साक्षी संख्या 7 ने अपनी गवाही में कहा कि जब वह CIA स्टाफ के पास पहुंचा, तो A2 और A1 वहां मौजूद नहीं थे और उसने पुलिस से यह नहीं पूछा कि क्या आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में इस तरह के भौतिक विरोधाभासों से PA6 और साक्षी संख्या7 के सबूतों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, साक्षी संख्या 6 ने स्पष्ट रूप से कहा कि , वह स्वयं और साक्षी संख्या 7 बच्चों की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए साक्षी संख्या 5 के यहां आए थे और साक्षी संख्या 5 और साक्षी संख्या 7 के एक दूसरे के साथ पहले से संबंध थे। इसके विपरीत , साक्षी संख्या 7 ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा है कि शिकायतकर्ता (साक्षी संख्या5) से उसका कोई परिचय नहीं था और वह और साक्षी संख्या 6 साक्षी संख्या 5

के बच्चों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने नहीं गए थे। अंत में, साक्षी संख्या 6 और साक्षी संख्या 7 की गवाही मे इस प्रश्न पर भी भिन्नता है कि वे रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन कब पहुंचे। साक्षी संख्या 7 ने बताया कि वह और साक्षी संख्या 6 शाम 6 बजे सीआईए स्टाफ पहुंचे और केवल 2 घंटे तक वहां रहे यानी वे रात 8 बजे तक चले गए। हालाँकि, इसका खंडन करते हुए, साक्षी संख्या 6 स्पष्ट रूप से कहता है कि वह रात 9 बजे साक्षी संख्या 7 के साथ CIA स्टाफ़ पहुंचा।

17. ऐसे मामले में जहां दोषसिद्धि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, ए2 की दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही में ऐसी विसंगतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है , खासकर जब इस तथ्य के प्रकाश में कि उच्च न्यायालय ने पहले ही निष्कर्ष निकालने में गलती कर दी है जो किसी आशय के अस्तित्व के बारे में संदिग्ध निष्कर्ष निकालने के लिए ऐसे तथ्यों अनुमानों और संभावनाओं में निहित हैं।

18. अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के संबंध में , यह कहना पर्याप्त है कि प्रतिवादी का उस पर भरोसा करने का प्रयास अस्थिर है क्योंकि उच्च न्यायालय ने साक्षी संख्या 13 गोवर्धन लाल के साक्ष्य में विसंगतियों पर ध्यान दिया है और उसके साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हम उच्च न्यायालय के फैसले को इस हद तक बरकरार रखते हैं कि वह साक्षी संख्या 13 की गवाही को खारिज कर देता है और ए 2 और ए3 की न्यायेतर स्वीकारोक्ति के सिद्धांत को अप्राकृतिक मानता है।

19. A2 के खिलाफ सबूत का आखिरी हिस्सा उसके द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर स्कूल बैग की कथित बरामदगी है। हालाँकि , A2 के खिलाफ अन्य सबूतों की तरह, यह भी उन्हीं विसंगतियों सहित अन्य विसंगतियों से भी ग्रस्त है , जिससे ऐसे सबूतों के लिए A2 की सजा का समर्थन करना मुश्किल हो जाता है। इस संदर्भ में , यह समझना जरूरी है कि पूरे अपराध में दो बैग शामिल थे , जो दो मृत बच्चों के थे। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि ऐसे बैगों में से एक की बरामदगी A2 द्वारा दिए गए प्रकटीकरण विवरण के आधार पर की गई थी। उच्च न्यायालय ने भी साक्ष्य के इस भाग पर A2 की अपनी दोषसिद्धि का समर्थन किया है। हालाँकि , उच्च न्यायालय ने इस साक्ष्य का अन्य साक्ष्यों से अलग विश्लेषण करके गलती की। हालाँकि , जब अभियोजन पक्ष के दावे की जांच अन्य गवाहियों और सबूतों के पूरे संदर्भ में की जाती है , तो यह स्पष्ट हो

जाता है कि बरामदगी का यह सबूत भी विरोधाभासों और विसंगतियों से मुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए, साक्षी संख्या6 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जब वह अगले दिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना के स्थान पर पहुंचा तो उसने बच्चों के शवों के पास "दो बैग" देखे। उन्होंने आगे कहा कि उ न्होंने वो दोनों बैग कोर्ट में भी देखे थे । इस विरोधाभास का समर्थन साक्षी संख्या 5 यानी खुद मृत बच्चों के पिता की गवाही से भी होता है, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि **"बच्चों का सामान यानी कपड़े, बैग और चप्पल मौके से बरामद किए गए थे। " उन्होंने आगे विस्तार से गवाही देते हुए कहा कि " बैग में अभ्यास पुस्तिकाएं, किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स आदि थे। मैंने बाजार से बैग खरीदे थे। मैंने 30.09.2009 को पुलिस स्टेशन में दोनों बैग और सामान की पहचान की थी**। इसलिए, यह समझ में नहीं आता है कि जब पुलिस द्वारा पूछ ताछ के दिन ही दोनों बैग शवों के पास से बरामद किए गए थे , तो A2 के प्रकटीकरण बयान के आधार पर एक बैग कैसे बरामद किया जा सकता है। इसके अलावा , असंगति को और बढ़ाते हुए , साक्षी संख्या 9 ने अपनी गवाही में कहा है कि **"जब मैं अपने खेत में गया था , तो मुझे अपने खेत में दो बच्चों के शव मिले। उनके पास वहां और कुछ नहीं पड़ा था।** " हालाँकि अभियोजन पक्ष का कहना है कि दूसरा बैग A2 की निशानदेही पर बरामद किया गया था , जाँच अधिकारी (साक्षी संख्या12) का बयान स्वयं अभियोजन पक्ष के रुख का खंडन करता है। साक्षी संख्या 12 ने अपनी गवाही में कहा कि **"मृतक अमन कुमार का एक स्कूल बैग जिसमें किताबें और ज्योमेट्री बॉक्स आदि थे, घटनास्थल से उठा लिया गया था।"** दूसरे बैग के लिए, साक्षी संख्या 12 ने बताया कि **"इसके बाद 29.09.2009 को, आरोपी रंजीत कुमार [A3] ने स्वीकारोक्ति बयान दिया कि एक स्कूल बै ग उसने रस्सी के साथ धान के खेतों में छुपाकर रखा था, जिसके बारे में केवल वह जानता था और वह ही ऐसा कर सकता था।" वही बरामद कराया** । साक्षी संख्या6, साक्षी संख्या5, साक्षी संख्या9 और साक्षी संख्या12 की गवाही में ये विरोधाभास और विसंगतियां अभियोजन पक्ष की कहा नी को कमजोर और ए2 के अपराध को स्थापित करने के लिए कमजोर और गैर- निर्णायक बनाती हैं, खासकर इस तथ्य के प्रकाश में कि वस्तुतः कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो A2 को अपराध के घटित होने से जोड़ें।

20. अंत में, इस अपील मे कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाया गया कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कॉल अभिलेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ए

और 65 बी के तहत स्वीकार्य होंगे , इस तथ्य को देखते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है अधिनियम के तहत अपेक्षित अनुपालन किया गया है। इस बात की अनिश्चितता कि क्या **अनवर पीवी बनाम पीके बशीर और अन्य** , (2014) 10 एससीसी 473 कानून के इस परिक्षेत्र में दायर किया गया है या क्या **शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ,** (2018) 2 एससीसी 801 **कानून की** सही व्याख्या करता है। इस विषय को इस न्यायालय ने **अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल ,** (2020) 7 एससीसी 1 में दिनांक 14/07/2020 के फैसले द्वारा निर्णायक रूप से तय कर दिया है, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि :

"इसलिए, हम दोहरा सकते हैं कि धारा 65बी(4) के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए एक शर्त है , जैसा कि **अनवर पीवी** (पूर्व) में सही ढंग से रखा गया है , और **शफी मोहम्मद** में गलत तरीके से "स्पष्ट" किया गया है। (पूर्व)। **ऐसे प्रमाणपत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य संभवतः पर्याप्त नहीं हो सकता क्योंकि धारा 65बी(4) कानून की एक अनिवार्य आवश्यकता है** । दरअसल, **टेलर बनाम टेलर (1876) 1 अध्याय 426** में उल्लिखित पवित्र सिद्धांत, जिसका इस न्यायालय के कई निर्णयों में पालन किया गया है , को भी लागू किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि द्वितीयक साक्ष्य केवल तभी स्वीकार्य है जब विधिक रूप से बताए गए तरीके से किया गया हो , अन्यथा नहीं। इसका अनुपालन न करने से धारा 65बी(4) निरर्थक हो जाएगी।

अनवर पीवी (पूर्व), जैसा कि हमने ऊपर स्पष्ट किया है , साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व से ही घोषित कानून है। **टोमासो ब्रूनो** (पूर्व) का निर्णय, प्रति इन्क्यूरियम होने के कारण, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है। इसके अलावा , 2011 के एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9431 के फैसले को **शफी मोहम्मद** (पूर्व) के रूप में प्रतिपादित किया गया और दिनांक 03.04.2018 के फैसले को (2018) 5 एससीसी 311 के रूप में प्रतिपादित किया गया , जो कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है और इसलिए खारिज करने योग्य है। .

ऊपर उल्लिखित विन्दुओं पर स्पष्टीकरण यह है कि, यदि मूल दस्तावेज़ स्वयं प्रस्तुत किया गया है तो धारा 65बी(4) के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र देना जरूरी नहीं है। लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या यहां तक कि मोबाइल फोन के मालिक द्वारा गवाह बनकर यह साबित करके किया जा सकता है कि संबंधित डिवाइस, जिस पर मूल जानकारी पहली बार संग्रहीत की जाती है , उसका स्वामित्व और /या उसके द्वारा संचालित है। **ऐसे मामलों में जहां "कंप्यूटर" किसी "कंप्यूटर सिस्टम" या "कंप्यूटर नेटवर्क" का हिस्सा होता है और ऐसे सिस्टम या नेटवर्क को भौतिक रूप से न्यायालय में लाना असंभव हो जाता है , तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित जानकारी प्रदान करने का एकमात्र साधन धारा 65बी(1) के अनुसार, धारा 65बी(4) के तहत अपेक्षित प्रमाणपत्र के साथ हो सकता है।"**

21. उपरोक्त के आलोक में, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क़ानून के अनुसार होना चाहिए और प्रमाणन आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए , ताकि यह कानून न्यायालय में स्वीकार्य हो। जैसा कि ऊपर वर्णित है यह सही कहा गया है, कि ऐसे प्रमाणपत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य , जैसा कि वर्तमान मामले में है , संभवतः पर्याप्त नहीं हो सकता क्योंकि धारा 65बी(4) कानून की एक अनिवार्य आवश्यकता है।

22. निष्कर्ष के तौर पर, आशय, लास्ट सीन थ्योरी और रिकवरी के तिपाये पर आधारित यह मामला, जो उच्च न्यायालय के अनुसार A2 की सजा का समर्थन करता था , गैर-निर्णायक पाया गया है और A2 की सजा का समर्थन करने वाले सबूत विसंगतियों और विरोधाभासों से भरे हुए हैं। जिससे केवल ऐसे परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि को कायम रखना असंभव हो जाता है।

23. तदनुसार, अपीलकर्ता रविंदर सिंह (ए-2) द्वारा दायर अपील यानी 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1307 की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को इस हद तक खारिज कर दिया जाता है कि यह ए 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 364 के तहत दोषी ठहराता है । इसलिए, A2 की दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है। हालाँकि , आक्षेपित आदेश द्वारा A1 और A3 को बरी किए जाने को बरकरार रखा गया है। तदनुसार , A1 और A3 यानी 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1308-1311 को बरी करने को चुनौती देने वाले आक्षेपित आदेश के खिलाफ प्रतिवादी /राज्य द्वारा दायर अपील खारिज की जाती है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधिकारियों को सूचित की जाए और अपीलकर्ता यानी **रविंदर सिंह (**ए-2)

को तुरंत रिहा किया जाए , जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

(मूल्य के हिसाब से कोई आदेश नहीं)

अनुवादक- दुर्गेश चन्द्र अवस्थी